अनुसूची-१४ -फारम सं० ५६२

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी-सह-समाहर्ता,सारण,छपरा।

आपूर्ति अपील सं0- 107/2011

योगेन्द्र साह

बनाम

सरकार (मार्फत अनु0 पदा,सोनपुर,सारण)

आदेश का क्रम-संख्या और तारीख।	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर।	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में पेशी, तारीख-सहित
13.08.2015	यह अपील वाद अनुमंडल पदाधिकारी,सोनपुर,सारण के ज्ञापांक 1024 आ0, दिनांक 19.11.2011 के विरूद्ध दाखिल है। उक्त वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि दिनांक 25.10.2011 को दरियापुर प्रखंड के सभी पंचायतों की दूकान की जांच जिला स्तरीय जांच दल के द्वारा की गयी। अंचल अधिकारी,लहलादपुर के द्वारा योगेन्द्र साह ,ज0वि0प्र0वि0, पंचायत-अकबरपुर, प्रखंड- दरियापुर की दूकान की जांच की गई। जांच के कम में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई- 1. दूकान बंद पाई गई। 2. अधिक दाम लिया जाता है, और लेकिन समान कम दिया जाता है। उक्त अनियमितताओं के लिए अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर, सारण के ज्ञापांक 936 आ0, दिनांक 11.11.2011 के द्वारा विकेता से स्पष्टीकरण पूछा गया। विकेता के द्वारा अपना जवाब दिया गया। प्राप्त जवाब को असंतोषजनक पाकर अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा विकेता की अनुज्ञप्ति रद्द कर दी गयी, जिसके विरूद्ध यह अपील वाद लाया गया है। अपीलार्थी अपने विज्ञ अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। सुनवाई की गई। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि विकेता की तबीयत दिनांक 24.10.2011 को काफी अधिक खराब हो गई थी, जिससे उन्हे महावती नर्सिंग होम,हाजीपुर में भर्ती होना पड़ा था, जिस वजह से जांच की तिथि को उनकी दूकान बंद पाई गई। विकेता के द्वारा विभागीय दिशा निर्देश के आलोक में निर्धारित दर पर निर्धारित मात्रा में कूपन के आधार पर निगरानी समिति के सदस्यों के समक्ष अनुदानित सामग्री का उपभोक्ताओं के बीच वितरण किया जाता है। उसके विरूद्ध ग्रामीण राजनीति की वजह से कुछ लोगों के द्वारा दुर्भावना से प्रेरित होकर शिकायत की गई। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को निरस्त करते हुए अपीलार्थी के अपील आवेदन को स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया।	

विज्ञ सरकारी अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि विक्रेता के विरूद्ध उपभोक्ता के द्वारा की गई शिकायतों से प्रतीत होता है कि विक्रेता के द्वारा विभागीय दिशा निर्देश के प्रतिकूल आचरण करके गंभीर अनियमितताएं बरती गई है, जिसके लिए उनका अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाना उचित होगा।

उभय पक्षों को सुनने एवं अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलन के उपरांत मैं यह पाता हूँ कि अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश (ज्ञापांक 1024, दिनांक 19.11.2011) अपने आप में एक मुखर आदेश नहीं हैं। अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा अपने कारण पृच्छा में आरोप लगाने वाले उपभोक्ता के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है। न ही, बयान की प्रति ही उपलब्ध कराई गयी है। इस तरह, अनुज्ञापन पदाधिकारी का कारण पृच्छा अपने आप में अस्पष्ट एवं अपूर्ण हो जाता है। अतः अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को Set aside करते हुए इस निर्देश के साथ अभिलेख को Remand किया जाता है कि विक्रेता को उपभोक्ताओं से प्राप्त बयान की प्रति उपलब्ध कराते हुए पुनः सभी प्रासंगिक बिन्दुओ पर विक्रेता से कारण पृच्छा किया जाए, उन्हे सुनवाई का एक मौका दिया जाए, एवं प्राप्त जवाब के आलोक में अभिलेख प्राप्ति के चार सप्ताह के अंदर एक विधिसम्मत मुखर आदेश पारित करना सुनिश्चित किया जाए।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

13/8/15

जिला दण्डाधिकारी,
सारण,छपरा।

13/8/15

जिला दण्डाधिकारी,
सारण,छपरा।

ज्ञापांक 30/मु०/...../न्या0, दिनांक 22/8/15,

प्रतिलिपिः– अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर,सारण को अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, सारण, छपरा को उक्त आदेश इस जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु निदेशानुसार प्रेषित।

वरीय उप समाहर्ता
जिला विधि शाखा
सारण, छपरा।

24/8/15